प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6849/2006

याचिकाकर्ता - प्रभु लाल ठेकवार

बनाम

उत्तरवादीगण - छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

....

उपस्थितः

श्री सी.आर. साहू, अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर से ।

....

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(दिनांक 23 फरवरी, 2007 को पारित)

(1) संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत प्रस्तंत इस याचिका द्वारा, याचिकाकर्ता ने औद्योगिक न्यायालय, रायपुर द्वारा अपील क्रमांक 136/CGIR/2005/A-II में पारित दिनांक 11.7.2006 (अनुलग्नक पी./12) के आदेश की वैधता को चुनौती दी है तथा याचिकाकर्ता को पूर्ण बकाया वेतन सहित सेवा में बहाल करने का अनुतोष भी मांगा है।

(2) संक्षेप में निर्विवाद तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को दिनांक 1.4.1986 को चालक के पद पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता को एक दांडिक मामले में गिरफ्तार कर दिनांक 14.5.1991 को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। वह दिनांक 1.7.1991 को न्यायिक अभिरक्षा से रिहा हुआ। दांडिक प्रकरण लंबित होने के कारण उसे पुनः नियुक्ति नहीं दी गई। दिनांक 21.10.1993 को याचिकाकर्ता को

दांडिक मामले में पारित दोषमुक्त करने के आदेश प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात याचिकाकर्ता दिनांक 8.10.1993 से 31.1.1994 तक अनुपस्थित रहा।

(3) याचिकाकर्ता ने प्रकरण क्रमांक 43/MPIR/94 के रूप में श्रम न्यायालय, दुर्ग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। श्रम न्यायालय ने दिनांक 11.20.2000 (अनुलग्नक पी./8) के आदेश द्वारा यह माना कि याचिकाकर्ता दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत था तथा वह अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित नहीं था। अतः श्रम न्यायालय ने बिना बकाया वेतन के सेवा में बहाल करने का आदेश पारित किया।

(4) श्रम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरुद्ध, तांदुला जल संसाधन विभाग, दुर्ग के अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालन अभियंता ने औद्योगिक न्यायालय, रायपुर के समक्ष अपील क्रमांक 109/M.P.I.R.A/II/2000 प्रस्तुत किया। औद्योगिक न्यायालय ने दिनांक 5.8.2003 (अनुलग्नक पी./9) के आदेश द्वारा यह पाया कि श्रम न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी था या उसकी नियुक्ति विधिक प्रावधानों के अनुरूप थी। अतः उत्तरवादियों की अपील स्वीकार की गई और प्रकरण को साक्ष्यों के परीक्षण के पश्चात गुण-दोष के आधार पर पुनः निर्णय हेतु श्रम न्यायालय को वापस भेज दिया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(5) श्रम न्यायालय ने दिनांक 21.7.2005 (अनुलग्नक पी./10) के अधिनिर्णय द्वारा समस्त तथ्यों पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि यह सिद्ध नहीं हुआ कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 8.10.1993 से 31.1.1994 तक कार्य किया, क्योंकि उसने स्वयं कंडिका 13 में स्वीकार किया है कि सेवा से हटाए जाने के बाद उसने श्रम न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया। याचिकाकर्ता ने पुलिस रिमांड में 15 दिन बिताने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की। आगे यह भी माना गया कि याचिकाकर्ता को सेवा से हटाया जाना विधिसंगत था।

(6) श्रम न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ता ने अपील क्रमांक 136/CGIR/2005/A-II के रूप में पुनः औद्योगिक न्यायालय, रायपुर के समक्ष अपील

प्रस्तुत की। औद्योगिक न्यायालय ने श्रम न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए यह भी माना कि याचिकाकर्ता ने पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष में 240 दिन कार्य नहीं किया था तथा उसने स्वेच्छा से सेवा छोड़ दी थी। याचिकाकर्ता द्वारा दस्तावेजों में हेरफेर जैसा गंभीर कदाचार भी किया गया। अतः याचिकाकर्ता की अपील निरस्त कर दी गई।

(7) मैंने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा अभिलेखों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दर्ज निष्कर्ष समवर्ती हैं तथा साक्ष्यों पर आधारित हैं। यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति जल संसाधन विभाग में दैनिक वेतनभोगी के रूप में हुई थी। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि दैनिक वेतनभोगी, अस्थायी या तदर्थ कर्मचारियों को पद पर पुनर्नियोजन या नियमितीकरण का अधिकार नहीं होता, यदि उनकी नियुक्ति संवैधानिक योजना के विपरीत या भारत के संविधान का अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप नहीं की गई हो। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विभिन्न निर्णयों के अनुसार, याचिकाकर्ता को दैनिक वेतन के आधार पर पद पर बने रहने, नियमितीकरण या पुनर्नियोजन का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(8) सुरिंदर प्रसाद तिवारी बनाम यू.पी. राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद[1] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार कहा है:-

> **"35.** समान अवसर हमारे संविधान की मूल विशेषता है। सार्वजनिक रोजगार राज्य की शक्ति का भंडार है, जिससे कुछ विशेष स्थिति और शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं।
>
> **36.** एच.एम. सीरवाई ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भारत का संवैधानिक विधि में उल्लेख किया है कि खुली प्रतियोगिता द्वारा भर्ती का सिद्धांत पहले भारत में लागू किया गया और बाद में इंग्लैंड में अपनाया गया।
>
> **37.** हमारी संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट रूप से सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की परिकल्पना करती है। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि

1 (2006) 7 SCC 684

किसी भी व्यक्ति को लिंग, जाति, जन्मस्थान, निवास या धर्म के आधार पर सार्वजनिक रोजगार के अवसर से वंचित न किया जाए। यह संवैधानिक दर्शन सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में समानता के सिद्धांत को सुदृढ़ करता है।

38. स्पष्ट एवं निर्विवाद संवैधानिक योजना के आलोक में, न्यायालय ऐसे नियुक्तियों को स्वीकार नहीं कर सकते जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत की गई हों। इस संवैधानिक दर्शन के परिप्रेक्ष्य में, न्यायालय के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह ऐसे व्यक्तियों की सेवाओं के नियमितीकरण का निर्देश दे, जो दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ, प्रोबेशनर, अस्थायी या संविदा कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं और जिनकी नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 309 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई हो। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में पिछवाड़े से प्रवेश के लिए कोई स्थान नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) यह सुस्थापित सिद्धांत है कि उच्च न्यायालय, जब न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करता है, तो वह किसी न्यायाधिकरण के विवेक में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जब तक कि वह निर्णय अवैध, अविवेकपूर्ण या विकृत न पाया जाए। वर्तमान प्रकरण के तथ्यों में, अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष समवर्ती हैं तथा श्रम न्यायालय द्वारा पारित अधिनिर्णय, जिसे औद्योगिक न्यायालय, रायपुर द्वारा पुष्टि की गई है, उसमें कोई अवैधता, अविवेकपूर्णता या विकृति नहीं पाई जाती।

(10) परिणामस्वरूप एवं उपर्युक्त कारणों से, यह रिट याचिका संक्षेप में खारिज की जाती है।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur